

जिला खनन कार्यालय, गया।

पत्रांक १४१२/खनन, गया, दिनांक १५/९/२५

प्रेषक,

खनिज विकास पदाधिकारी,
गया।

सेवा में,

M/s GLADIATA ENGINEERING MAKERS PRIVATE LIMITED

Director-Sonu Kumar

S/o- Surendra Singh

HOLDING NUMBER 63A/L 167 HOUSEING BOARD COLONY,
ANUGRAHPURI PS RAMPUR DIST GAYA

gladiataengineering@gmail.com

विषय :-

गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-22 (गया मोरहर-09) की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-16.08.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गया जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-22 (गया मोरहर-09), रकवा-40 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-16.08.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में आपके द्वारा निर्धारित सुरक्षित जमा राशि मो0-10,80,00,000/- (दस करोड़ अस्सी लाख) रू0 के विरुद्ध सुरक्षित जमा राशि के उपर मो0-11,88,00,000/- (ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख) रू0 की बोली लगाई गई। उल्लेखनीय है कि बालूखण्ड संख्या-22 के लिए एकल निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा दस्तावेज की कंडिका संख्या-19 (vi) के आलोक में निदेशक, खान के पत्रांक 3772/एम0, पटना, दिनांक 09.09.2024 द्वारा विभागीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार आप सफल डाकवक्ता घोषित हुए हैं। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-27,00,000/- (सत्ताईस लाख) रू0 के भुगतान का साक्ष्य दिनांक-23.09.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत बालूखण्ड संख्या-22 (गया मोरहर-09) के सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. बालूखण्ड संख्या-22 (गया मोरहर-09) से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	नदी का नाम	रकवा (हेक्टेयर में)	Geo Coordinates		
			Latitude		Longitude
1	मोरहर (Non-Perennial)	40	A	24°44'44.81"N	84°50'29.26"E
			B	24°44'41.97"N	84°50'38.22"E
			C	24°43'50.95"N	84°50'20.42"E
			D	24°43'53.55"N	84°50'13.02"E
2	वन क्षेत्र से दूरी		लगभग 13.56 कि.मी.		
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण्य क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण्य/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी		लगभग 33.35 कि.मी.		
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति		लागू नहीं		
5	पुरातात्विक स्थल से दूरी		लगभग 16.2 कि.मी.		
6	खनन योग्य मात्रा		720000 घनमीटर		

2. भुगतान की शर्तें :-

- (i) नीलामी-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

3. **GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, गया में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
4. **आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, गया द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
5. **जिला खनिज फाउण्डेशन :-** Bihar District Mineral Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन, गया के नाम भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
6. **वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यदेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-
 - a) विभागीय अधिसूचना संख्या-1731/एम0, पटना, दिनांक 10.05.2024 एवं अधिसूचना संख्या-2514/एम0, पटना, दिनांक 24.06.2024 द्वारा बालूघाटों की बन्दोबस्ती के क्रम में नीलामी के उपरान्त सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत करने से एकरारनामा निष्पादन तक प्रत्येक स्तर पर कार्रवाई के लिए समय-सीमा का निर्धारण निम्नप्रकार किया गया है, जिसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना होगा :-
 - i. ई-नीलामी सम्पादन के अधिकतम 05 (पाँच) दिन के अन्दर सफल डाकवक्ता द्वारा उच्चतम डाक बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा।
 - ii. प्रतिभूति राशि प्राप्त होते ही समाहर्ता द्वारा अधिकतम 03 (तीन) दिनों में सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LoI) निर्गत किया जाएगा।
 - iii. सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LoI) निर्गत करने के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बन्दोबस्तधारी द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हित व्यक्ति/संस्थान से खनन योजना तैयार कराकर विभाग में अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाएगा।

- iv. प्राप्त खनन योजना को अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर अन्तर्विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- v. क. सफल डाकवक्ता द्वारा खनन योजना अनुमोदन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर ToR स्वीकृति के लिए प्रस्ताव/आवेदन SEIAA के परिवेश पोर्टल पर समर्पित किया जाएगा।

ख. उच्चतम डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (Loi) प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित बालूघाट के लिए निकटतम मॉनिटरिंग अवधि (Base line Data Collection Period) समाप्ति के अधिकतम 07 (सात) दिन के अन्दर ड्राफ्ट EIA एवं लोक सुनवाई के लिए निर्धारित शुल्क बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के समक्ष जमा करेगा।

ग. उच्चतम डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी संबंधित बालूघाट के लिए सम्पन्न लोक सुनवाई की तिथि से अधिकतम 07 (सात) दिन के अन्दर Final EIA, SEIAA के समक्ष जमा करेगा।

- vi. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में सफल डाकवक्ता द्वारा सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय की जा रही है, इससे संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से संबंधित समाहर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।
- vii. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अधिकतम 07 (सात) दिनों के अन्दर सफल डाकवक्ता द्वारा CTE/CTO के लिए आवेदन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को समर्पित किया जाएगा।
- viii. सफल डाकवक्ता CTE/CTO प्राप्त होने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर प्रथम किस्त का भुगतान अन्य देय राशि के साथ किया जाएगा एवं सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन के लिए जिला समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- ix. सभी राशि एवं एकरारनामा के साथ वैधानिक स्वीकृति समर्पित करने के अधिकतम 03 (तीन) दिनों के अन्दर जिला समाहर्ता द्वारा एकरारनामा का निष्पादन किया जाएगा एवं खनन कार्य की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- x. एकरारनामा निष्पादन के अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बन्दोबस्तधारी द्वारा इसका निबंधन कराया जाएगा।

उपरोक्त समय-सीमा का दृढ़तापूर्वक अनुपालन संबंधित समाहर्ता द्वारा कराया जाएगा एवं सफल डाकवक्ता द्वारा जानबूझकर विलम्ब करने की स्थिति में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जप्त करने एवं सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहत करने की कार्रवाई की जाएगी।

b) **खनन के लिए अनुमत मात्रा:-** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।

c) बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

7. बंदोबस्ती विलेख/पट्टा सविदा (डीड) निष्पादन करना :-

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/सविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

8. सामान्य शर्तें :-

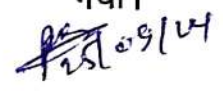
- (i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
- (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
- (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (vii) यथोक्त शर्तों, बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/नुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी जल ससाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ

खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल ससाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।

- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बन्दोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई कोई भी सूचना/निदेश /आदेश इत्यादि IT Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

विश्वासभाजन


खनिज विकास पदाधिकारी,
गया।

 09/04